

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 12/2024 राजस्व अपील

1. रामजीलाल
2. गोपाल

पुत्रान कंचन जाति मीना निवासी ग्राम मोहलाई उप तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोजेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 28.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामजीलाल वगैरा व अन्य मुकदमा संख्या 165/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री प्रदीप कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 23.07.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स ने ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा स्थित खसरा नम्बर 139 रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 134 रकबा 0.06 है. कुल रकबा 0.18 है. किस्म चरागाह पर सम्वत 2075 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही निर्णय दिनांक 28.08.2018 पारित कर अपीलान्ट्स को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोजेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सुनवाई सबूत व जवाब पेश करने का मौका ही नहीं दिया। अपीलान्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नहीं है। अपीलान्ट्स की ओर से इस आशय के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं कि अपीलान्ट्स द्वारा उक्त चरागाह भूमि खसरा नम्बर 139, 134 पर से कब्जा हटा लिया है और ना ही भविष्य में कभी कब्जा करेगा तथा अपीलान्ट्स का किसी भी चरागाह भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 28.08.2018 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा स्थित भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 134 रकबा 0.06 है. कुल रकबा 0.18 है. किस्म चरागाह पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस जारी कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर पेनल्टी व 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट्स का ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा स्थित भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 134 रकबा 0.06 है. कुल रकबा 0.18 है. किस्म चरागाह पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा पर से अपना कब्जा हटा लिया जाना एवं अपीलान्ट्स का किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं होना तथा अपीलान्ट्स द्वारा भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किया जाना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 139, 134 पर से अपीलान्ट्स द्वारा कब्जा हटा लिया जाना और ना ही भविष्य में कभी कब्जा करने बाबत प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 28.08.2018 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा न्यायालय की मुद्रा से खुले तौर पर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(सुमित्रा पारीक)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा

न्यायालय की मुद्रा से

(सुमित्रा पारीक)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा